

दि. सं. 29-23/2022-स्थापना/आर.टी.आई.

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
विस्तार निदेशालय

कृषि विस्तार भवन,
आई.ए.एस.आर.आई. कैम्पस, पूसा,
नई दिल्ली-110012
दिनांक: 25 जुलाई, 2022

सेवा में,

Shri Nanu Sodhi
25/7, Top floor, West Patel Nagar
New Delhi-110008.
Email : nanusodhi@gmail.com

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति-विस्तार निदेशालय से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए श्री० नानु सोडी, नई दिल्ली, से प्राप्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सूचना देने से संबंधित (पंजीकरण संख्या DOEXT/R/T/22/00049 दिनांक 24.06.2022)

महोदय,

कृपया अपने आर.टी.आई अनुरोध उक्त पंजीकरण संख्या का अवलोकन करें जिसमें आर.टी.आई अधिनियम 2005 के तहत उपरोक्त विषय पर विस्तार निदेशालय से संबंधित सूचना निम्नवत् है :-

माँगी गई जानकारी	जवाब
Dear Sir, Request you to please let me know the status of the letter with F.No. ITMC/IISR/19-20/M3(07)-5-4, dated 16 th August, 2019 forwarded to the chief Secretary of all states, to the director of horticulture Subject for adoption of Bio Capsule technology for organic farming in agriculture sector, it is mentioned in the letter that it is to be promoted for organic farming among farmers through large scale demonstration under various schemes like PKVY Pramparagat Krishi Vikas Jojana, National Food Security Mission NFSM, Agricultural Technology Management Agency ATMA Scheme etc. what action has been taken on it till date. What is the budget allotted to these schemes by the government?	<p>A Centrally Sponsored Scheme "Support to State Extension programs for Extension Reforms" popularly known as ATMA Scheme is under implementation since 2005. Presently, the scheme is being implemented in 704 districts of 28 states & 5 UTs of the country. The scheme promotes decentralized farmer-friendly extension system in the country. The objectives of the Scheme is to support State Government efforts and to make available the latest agricultural technologies and good agricultural practices in different thematic areas of agriculture and allied areas to farmers including organic farming through different extension activities viz. Farmers Training, Demonstrations, Exposure Visits, Kisan Mela, Mobilization of Farmers Groups and organizing Farm Schools etc.</p> <p>During the current financial year i.e. 2022-23, an amount of Rs. 710.96 crore (Central Share) has been tentatively allocated to States/UTs under ATMA Scheme.</p>

आपको सूचित करना है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर के खिलाफ प्रथम अपील, यदि कोई हो, करने के लिये यह उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीली प्राधिकारी को अपील किया जा सकता है। प्रथम अपीली प्राधिकारी का विवरण निम्नवत् है :-

डा. शैलेश कुमार मिश्र, निदेशक (विस्तार),
विस्तार निदेशालय,
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
कमरा संख्या 216, कृषि विस्तार भवन,
आई.ए.एस.आर.आई. कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110 012,
दूरभाष:- 011-25847680 व ई-मेल पता:-shallesh.mishra29@gov.in

दीपा पंडे
25/7/2022

(दीपा पंडे)
उप निदेशक (प्रशासन एवं सी.पी.आइ.ओ.)
दूरभाष:- 011.25846467
ई-मेल:- deepa.pande65@gov.in

---2/---

प्रतिलिपि:-

- 1. अवर सचिव (विस्तार व सी.पी.आई.ओ.), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
- 2. अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई), आर.टी.आई सैल, कृषि भवन, नई दिल्ली
- 3. श्री जगदीश प्रसाद यादव, संयुक्त निदेशक/आई.टी. ई.चार्ज, कृषि विस्तार भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त जबाब को विस्तार निदेशालय की वेबसाईट www.krishivistar.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

श्री जगदीश प्रसाद यादव
 संयुक्त निदेशक/आई.टी. ई.चार्ज
 कृषि विस्तार भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव (विस्तार व सी.पी.आई.ओ.), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।

2. अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई), आर.टी.आई सैल, कृषि भवन, नई दिल्ली

3. श्री जगदीश प्रसाद यादव, संयुक्त निदेशक/आई.टी. ई.चार्ज, कृषि विस्तार भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त जबाब को विस्तार निदेशालय की वेबसाईट www.krishivistar.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

श्री जगदीश प्रसाद यादव
 संयुक्त निदेशक/आई.टी. ई.चार्ज
 कृषि विस्तार भवन, नई दिल्ली